न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 37/2022

अनवान : –

1. सुलतान पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. कृष्ण कुमार पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **अप्रार्थीगण**

3. गुड्डी पुत्री जयलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. परमेश्वरी उर्फ रामेश्वरी पत्नी जयलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
5. मनोहर पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
6. सुशीला पुत्री जयलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

– **तरतीबी अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री मांगेराम गोदाराअधिवक्ता प्रार्थी**
श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता अप्राथी

निर्णय **दिनांकः** 20/9/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 461/418 की कुल 2.5300 हैक्ट कृषि भूमि सायल व तरतीबी गैरसायलान संख्या 3 ता 6 के नाम दर्ज है।

रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 22/24 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि गैरसायलान संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल व तरतीबी गैरसायलान अपने गांव बरवाली से चलकर स्वीकृतशुदा रास्ता से होते हुए गैरसायल संख्या 1 के प0न0 377/415(6) के किला न0 25 में दक्षिण दिशा में 1 बिस्वा यानि सवा आठ फुट चौड़ा रास्ता से होते हुए अपने खेत प0न0 378/415(341) के किला न0 21 में प्रवेश करते है तथा उक्त रास्ता आपसी सहमति से चला आ रहा है।

सायल व तरतीबी गैरसायलान की कृषि भूमि रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 22/24 के प0न0 377/415(6) के किला न0 25 में दक्षिण दिशा में 1 बिस्वा यानि सवा आठ फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत करवाकर आपसी सहमति से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायल संख्या 1 की कृषि भूमि रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 22/24 के प0न0 377/415(6) के किला न0 25 में दक्षिण दिशा में 1 बिस्वा यानी सवा आठ फुट चौड़ा रास्ता स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड मं दर्ज करने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:50:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र की सभी मदों को स्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी को उसकी खातेदार भूमि में जाने के लिए गैरसायल की भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है। तरतीबी अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 को अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तर्क अंकित किया गया।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की सायलान एवं गैरसायलान की आपसी सहमति के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखा जाकर रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता गैरसायल संख्या 1 देने को तैयार है किसी प्रकार का ऐतराज नही है अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। सायल एवं गैरसायल दोनों एक दुसरे के खेत पड़ौसी है। सायल अपने खेत में जाने के लिए रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है सायल के कथनों को गैरसायल स0 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल को उसके कब्जा काश्त की भूमि मे जाने के लिए उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात सायल व गैरसायल की रास्ता स्वीकृत करने में सहमति हो चुकी है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायल एवं गैरसायल स0 1 की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन तथा सायल एवं गैरसायल स0 1 की आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 22/24 के प0न0 377/415(6) के किला न0 25 मे दक्षिण दिशा में 1 बिस्वा यानि सवा आठ फुट चौड़ा गै0मु0 रास्ता स्वीकृत किया जाता है। किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20/9/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:30:12 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर